हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश। मुकदमा जरिये विड्रावल खारिज हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र आगे चलाने का औचित्य नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।